न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 115/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 उगमी पुत्री छीतर गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

2 हीरा पुत्र छीतर गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

.... प्रार्थीगण

वनाम

1 सुमित्रा पत्नि घासीराम माली उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

2 भूमिधार, तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री शिवराज शर्मा––––– वकील प्रार्थीगण
श्री विजय पाराशर–––––अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां उपस्थित

निर्णय

दिनांक 21.06.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 26.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा कोठिया पटवार मण्डल क्षेत्र कोठिया तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 75 के आराजी संख्या 2850 प्रार्थीगण के पक्ष में संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण स्वयं की सहखातेदारी भूमि में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरे तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण वर्षो से अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि में से होकर आते जाते रहे है, परन्तु अब अप्रार्थी द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 4906/2850 की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की सहखातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 4906/2850 भूमि की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 28.07.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, दलील प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे रेकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना नियत सुनवाई पर गैर हाजिर रहने से विरूद्ध अप्रार्थी 01 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। –––––

उपखण्ड अधिकारी
फुलिया कलां, जिला भीलवाडा

---तदोपरान्त अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उनके विरूद्ध हो चुकी एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करा, पुनः दोतरफा कराये जाने का अनुरोध जरिये प्रार्थनापत्र धारा आदेश 09 नियम 07 सिविल प्रक्रिया संहिता किया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा आदेश 09 नियम 07 जा.दी. पर अप्रार्थी को सुना गया। बाद परीक्षण प्रार्थनापत्र धारा आदेश 09 नियम 07 जा.दी. स्वीकार कर, अप्रार्थी संख्या 01 से जवाव मूल प्रार्थनापत्र तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 01 की ओर से जरिये अधिवक्ता खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थनापत्र के माध्यम से बताये गये रास्ते से प्रार्थीगण की कभी आवाजाही नही रही है। प्रार्थीगण का वर्षो से आवागमन का कथन असत्य है। यदि प्रार्थीगण को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थीया को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही इससे अप्रार्थीया का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण सव्यय खारीज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार फुलियाकलां ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट में मौजा कोठिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी संख्या 4906/2850 रकबा 0.39 में से 0.0350 हैक्टयर (70 मीटर गुणा 5 मीटर/350 वर्गमीटर) भूमि प्रस्तावित हुई है।

उभयपक्षों के नियुक्त विद्वान अभिभाषकों ने बहस में अपने अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्र्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. रास्ते की अत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थीगण के पास अपनी सहखातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है एवं न ही अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग मौजूद है।
2. रिपोर्ट तहसीलदार में भी यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के निर्बाध आवागमन के लिए सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट में यह तथ्य प्रमाणित है कि मौजा कोठिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी संख्या 4906/2850 रकबा 0.39 में से 0.0350 हैक्टयर (70 मीटर गुणा 5 मीटर/350 वर्गमीटर) भूमि नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। इस पर अप्रार्थीगण को इससे भारी क्षति होने की दलील दी गई है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। *तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को केवल 5 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। फिर भी अप्रार्थीया को न्यूनतम असुविधा/क्षति हो इस दृष्टिकोण से 5 मीटर के स्थान पर 3.5 मीटर नवीन रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक मानता है। इसी के साथ भू.अ.निरीक्षक द्वारा तैयार किए गये नजरी नक्शे में खसरा संख्या 4906/2850 की दक्षिण दिशा में जहां से नवीन मार्ग लाल स्याही से प्रस्तावित किया गया है उसमें आंशिक संशोधन करते हुए, काली स्याही से दर्शित किए गये डोटेड 3.5 मीटर चौडे रास्ते को न्यायालय उपयुक्त मानता है।––*

उपखण्ड अधिकारी
फुलिया कलां, जिला–भीलवाडा

———दूसरी ओर अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप ऐसा कोई तर्क प्रस्तुत नही किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थी को बेहद भारी क्षति होगी।

प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये 20 फिट चौडे रास्ते के मुकाबले अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा/क्षति हो तथा कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस पर मनन करने के पश्चात मौजा कोठिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी संख्या 4906/2850 रकबा 0.39 में से 0.0245 हैक्टयर (70 मीटर गुणा 3.5 मीटर/245 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय उचित मानता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम कोठिया पटवार मण्डल कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी संख्या 4906/2850 रकबा 0.39 में से 0.0245 हैक्टयर (70 मीटर गुणा 3.5 मीटर/245 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा **(काली स्याही से दर्शित)** (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी (आराजी संख्या 4906/2850 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0245 हैक्टेयर मालियत राशि की तीन गुना राशि कुल 12,905/–रूपये (0.0245 हैक्टयर की) राज्य कोष/अप्रार्थी को अदायगी कर दी जावेगी/जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां, जिला–भीलवाड़ा